(131)

238

निग-3994/2018/रीवा/भू रा

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

गणेश प्रसाद तिवारी तनय रामसजीवन तिवारी उम्र- 80 साल, पेशा-खेती निवासी पहरखा थाना व तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0,--- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1- नवलकिशोर तनय रामसजीवन तिवारी उम्र 70 साल,

2- रामकिशोर तनय रामसजीवन तिवारी उम्र -65 साल,

उपरोक्त दोनों का पेशा कृषि निवासी ग्राम पहरखा थाना व तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 --- अना0/ गैर निगरानीकर्तागण

प्रस्तुतकर्ता श्री आर.पी.द्विवेदी द्वारा पेश 30-6-18

निगरानी विरूद्ध रा.प्र.क्र.-0018/अ-27/017-2018 में माननीय तहसीलदार तह0 नईगढ़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-18, अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता एवं सहपठित धारा 8 एवं 32 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959ई.

मूल प्रकरण -- माननीय तहसीलदार तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 का रा.प्र.क्र.- 0018/अ27/2017-18 पक्षकार - नवलकिशोर बनाम गणेश प्रसाद तिवारी वगैरह,

---

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2018, अवैध, अनुचित, एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संदर्भित राज0 प्रकरण में पारित किया गया है, जो एतद् पश्चात् आवश्यकता अनुसार विवादित आदेश के नाम से संबोधित किया जायेगा।

2- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक नवलकिशोर ने म0प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा 178 के तहत बटनवारा हेतु इस आशय

क्र:

2/6/18

(131)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03994/**2018**/रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

गणेश प्रसाद/नवल किशोर तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 18/अ–27/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	